

न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला  
भिण्ड, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 194 / 10

संस्थापन दिनांक : 16.04.2010

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म.प्र.

— अभियोजन

बनाम

1—कल्लू उर्फ कलियानसिंह पुत्र महाराजसिंह कौरव  
उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम टैंटोन थाना एण्डोरी जिला  
भिण्ड म0प्र0

— अभियुक्त

निर्णय

( आज दिनांक.....को घोषित )

1. उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 188 भा.द.स. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 15.01.10 को 16:30 बजे नहर पुल ग्राम टैंटोन गोहद जिला भिण्ड पर लोकसेवक द्वारा प्रख्यात आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के आदेश क्रमांक क्यू/डी.एम./2009/2763 दिनांक 24.04.2009 के उल्लंघन में ग्राम पंचायत के निर्वाचन में बिना अनुमति के विशंभर के पक्ष में वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदेश की सआशय अवज्ञा की।
2. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 15.01.10 को फरियादी डी0एल0धनेले अ0सा03 को दौराने इलाका भ्रमण नहर पुल ग्राम टैंटोन पर आरोपी कल्लू उर्फ कलियानसिंह कौरव निवासी टैंटोन का अपने लाल रंग के महिन्द्रा टैक्टर पर लाउडस्पीकर डैक लगाकर ग्राम पंचायत टैंटोन के सरपंच पद के प्रत्याशी विशंभरसिंह कौरव का चुनाव प्रचार कर रहा था उससे वाहन से चुनाव प्रचार करने की अनुमति चाही गयी तो कोई अनुमति नहीं होना बतायी ना ही वाहन पर अनुमति चस्पा थी। आरोपी बिना अनुमति के टैक्टर पर लाउडस्पीकर लगाकर चुनाव प्रचार करता पाया गया । तत्पश्चात फरियादी डी0एल0धनेले अ0सा03 की रिपोर्ट प्र0पी-3 पर थाना एण्डोरी में अप0क्र0 06/10 पर पंजीबद्ध

कर विवेचना में लिया गया और संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रतीत होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

3. आरोपी ने अपराध की विशिष्टियां अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है। आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है।
4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि क्या आरोपी के दिनांक 15.01.10 को 16:30 बजे नहर पुल ग्राम टैंटोन गोहद जिला भिण्ड पर लोकसेवक द्वारा प्रख्यात आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के आदेश क्रमांक क्यू/डी.एम./2009/2763 दिनांक 24.04.2009 के उल्लंघन में ग्राम पंचायत के निर्वाचन में बिना अनुमति के विशम्भर के पक्ष में वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदेश की सआशय अवज्ञा की ?

// विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष //

5. फरियादी डी0एल0धनेले अ0सा03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.01.10 को थाना एण्डोरी में थाना प्रीभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को गश्त के दौरान ग्राम टैंटोन नहर की पुलिया के पास एक महिन्द्रा टैक्टर से ग्राम पंचायत टैंटोन के सरपंच पद का प्रचार करते कल्यानसिंह नाम का व्यक्ति पाया गया। जिस पर विशम्भरसिंह प्रत्याक्षी के सरपंच के प्रचार हेतु पर्चे लगे हुए थे। वाहन का कोई अनुमति पत्र नहीं लगा था। आरोपी से अनुमति पत्र चाहा गया तो उसके द्वारा कोई अनुमति न होना बताया गया। आरोपी कल्यानसिंह से महिन्द्रा टैक्टर लाल रंग का मॉडल 475 डी.आई सीरियल क्र- आर.ई.यू 9807-09 का जिस पर ग्राम पंचायत टैंटोन के प्रत्याक्षी विशम्भर के पर्चे चस्पा थे व लाउडस्पीकर डैक लगा था तथा सरपंच प्रत्याक्षी विशम्भर के चुनाव प्रचार के साथ पर्चे जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.2 बनाया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। थाना आकर आरोपी कल्यानसिंह के विरुद्ध अपराध क्र 6/10 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था। एफ.आई.आर प्र.पी.3 के ए से ए व बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
6. साक्षी एन.पी.गौड अ.सा.1 ने कथन किया है कि वह दिनांक 15.01.10 को थाना एण्डोरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को वह डी.एल.धनेले अ0सा03, आरक्षक राजेन्द्रसिंह अ.सा.2 के साथ दौरा हलाका गश्त देखा की टैंटोन की पुलिया के पास चुनाव प्रचार हो रहा था। विशम्भर जो सरपंच के पद पर पदस्थ था वह लाउडस्पीकर से कल्यान के टैक्टर क्रमांक 9807-775 महिन्द्रा लाल रंग का लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर रहा था। मांगने पर अनुमति नहीं थी। गाड़ी में पर्चे भी रखे थे। मौके पर दरोगाजी ने उसके समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा प्र.पी.1 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। जिसमें लाउडस्पीकर, डैक, पर्चे जप्त किये थे। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.2 बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर थाने पर लाये थे।
7. राजेन्द्र सिंह अ.सा.2 ने कथन किया है कि वह थाना एण्डोरी में

आरक्षक के पद पर दिनांक 15.01.10 को पदस्थ था। डी.एल.धनेले अ0सा03 के साथ गश्त करने के लिये गया था तब नारायणप्रसाद अ.सा.1 व अन्य फोर्स के लोग भी साथ थे तब गश्त के दौरान कल्लू उर्फ कलियान टैटॉन नहर की पुलिया के पास ट्रैक्टर लेकर खड़ा था और आरोपी डेंक चला रहा था और पंचायत चुनाव के पर्चे चुपकाये हुये था जो विशम्बरसिंह कौरव के थे । बी0एल0 धनेले अ.सा.3 ने अनुमति पूछी तो आरोपी ने कोई अनुमति न होना बताया फिर उन्होंने ट्रैक्टर , स्पीकर एवं पर्चे जप्त किये थे और आरोपी को गिरफ्तार कर थाने ले गये थे। जप्ती पंचनामा प्र0पी0-1 व गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. साक्षी डी0एल0 धनेले अ0सा0-3 ने पैरा-2 में कथन किया है कि वह गश्त पर जाने पर रोजनामचा में दर्ज करते हैं। रोजनामचा रिपोर्ट प्रकरण में पेश नहीं की गयी है और ना ही वह साक्ष्य के दौरान लाया है। एन0पी0 गोड अ.सा.1 ने भी पैरा-2 में स्वीकार किया है कि गश्त के दौरान जाने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये गये हैं। अतः घटना स्थल पर रवाना होने के संबंध में विरचित दस्तावेज अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।
9. एन0पी0 गोड अ0सा0-1 ने पैरा-2 में कथन किया है कि समय अधिक होने से वह आरोपी को नहीं पहचान सकते। राजेन्द्र अ0सा0-2 ने पैरा-2 में कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं पहचान सकता। अतः दोनों स्वतंत्र साक्षियों ने घटना के प्रत्यक्ष साक्षी होते हुये भी आरोपी को पहचानने में असमर्थता व्यक्त की है, जबकि वह दोनों पुलिस साक्षीगण हैं।
10. एन0पी0गोड अ0सा0-1 ने पैरा-2 में स्वीकार किया है कि मौके पर भीड़ थी लेकिन वह उनके नाम नहीं जानता । राजेन्द्र अ.सा.2 ने भी पैरा -2 में कथन किया है कि जप्ती के समय गांव के दो चार लोग भी थे। लेकिन उक्त दोनों साक्षीगण के कथन के विरोधाभास में डी0एल0 धनेले अ0सा03 ने पैरा-2 में कथन किया है कि जप्ती बनाते समय आम-जनता का कोई व्यक्ति नहीं था। अतः स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति के संबंध में भी पुलिस साक्षियों के कथन में परस्पर विरोधाभास है। अतः स्वतंत्र साक्षियों के अभाव मामले के अविश्वसनीय प्रतीत होता है और किसी स्वतंत्र साक्षी को प्रकरण में साक्षी न बनाये जाने का अभियोजन कारण स्पष्ट नहीं कर सका है।
11. डी0एल0 धनेले अ0सा03 ने पैरा-2 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि थाने से गश्त के लिये कितने बजे निकला था। राजेन्द्र अ0सा0-2 ने भी पैरा-3 में कथन किया है कि वह निश्चय नहीं बता सकता कि जप्ती किस दिनांक को की थी। एन0पी0गोड अ0सा0-1 ने भी पैरा-2 में कथन किया है कि वह नहीं बता सकता कि चुनाव किस दिनांक को था और चुनाव प्रचार रोकने का आदेश किस तारीख को लगा था। प्रकरण में अभियोजन द्वारा वह आदेश पेश नहीं किया गया है जिसके संबंध में आरोप है कि आरोपी ने लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा की। अतः जिस आदेश की अवज्ञा की गयी है, वही आदेश प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। अतः आदेश के अभाव में भी यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आदेश किस दिनांक से किस दिनांक तक प्रभावशील था और आदेश किस संदर्भ में था। अतः तर्क के लिये मान भी लिया जाये कि आरोपी से चुनाव प्रचार की सामग्री जप्त की गयी थी तब भी यह तथ्य स्पष्ट नहीं होता है कि किस दिनांक को चुनाव था तथा किस दिनांक से किस दिनांक तक के लिये आदेश

प्रभावशील था अथवा क्या आदेश दिया गया था । उपरोक्त मौखिक साक्ष्य से भी जप्ती के पुलिस साक्षीगण जप्ती का समय अथवा दिनांक स्पष्ट नहीं कर सके हैं। अतः आदेश की अवज्ञा ही अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं होती है।

12. अतः उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव स्पष्ट नहीं हुआ है मात्र पुलिस साक्षियों के कथन अभिलेख पर हैं और जप्ती के पुलिस पंच साक्षीगण आरोपी को पहचानने में असमर्थ रहे हैं। घटनास्थल पर रवाना होने का कोई दस्तावेज अभियोजन ने पेश नहीं किया है जिस लोक सेवक के आदेश की अवज्ञा का आरोप है कि वह आदेश पेश नहीं किया गया है और ना ही मौखिक साक्ष्य से स्पष्ट किया है कि आदेश किस दिनांक से किस दिनांक तक प्रभावशील था और क्या आदेश प्रदान किया गया था। अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से अभियोजन का मामला सिद्ध नहीं होता है और यह सिद्ध नहीं होता है कि आरोपी ने दिनांक 15.01.10 को 16:30 बजे नहर पुल ग्राम टैंटोन गोहद जिला भिण्ड पर लोकसेवक द्वारा प्रख्यात आदेश अनुविभागीय दण्डाधिकारी गोहद के आदेश क्रमांक क्यू/डी.एम./2009/2763 दिनांक 24.04.2009 के उल्लंघन में ग्राम पंचायत के निर्वाचन में बिना अनुमति के विशंभर के पक्ष में वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर प्रचार कर आदेश की सआशय अवज्ञा की ।

13. परिणामतः आरोपी को धारा 188 भा0दस0 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

14. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

15. प्रकरण में जप्त ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0-30-ए0ए0-1508 सुपुर्दगी पर है। अतः सुपुर्दगीनामा अपील अवधि पश्चात् उन्मोचित किया जाये और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये । प्रकरण में जप्त सात पर्चे अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये जाये। और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये । प्रकरण में जप्त लाउड स्पीकर को प्राप्त करने के लिये किसी के द्वारा दावा नहीं किया गया है। अतः उक्त लाउड स्पीकर अपील अवधि पश्चात् राजसात किये जाये। और अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जाये ।

दिनांक :-

सही/-

(गोपेश गर्ग)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0